



HAMIRPUR POLICE



थाना मौदहा

दिनांक 20.09.2022

जनपद हमीरपुर~ प्रभावी पैरवी कर 11 अभियुक्तों को 5 वर्ष 6 माह का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी-

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 14/10/1994 को थाना मौदहा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 139/94 धारा-147/332/336/353/504/427/336 आईपीसी में नामजद अभियुक्तगण-

1. ओम प्रकाश

7. छोटे लाल प्रजापति

2. रामदेव सिंह

8. वंश गोपाल

3. विवेक त्रिवेदी

9. शिव वीरेंद्र भटनागर

4. सुरेंद्र प्रसाद

10. जयकरण सिंह निवासीगण कस्बा व थाना मौदहा

5. लक्ष्मीनारायण

जनपद हमीरपुर

6. अरुण कुमार

11. बादशाह सिंह निवासी खरेला थाना खरेला महोबा

को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा धारा 147 आईपीसी में 01 वर्ष कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थ दंड, धारा 332 आईपीसी में 01 वर्ष कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थ दंड, धारा 336 आईपीसी में 02 वर्ष कारावास व 1,500/- रुपये के अर्थ दंड, धारा 353 आईपीसी में 01 वर्ष कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थ दंड तथा धारा 504 आईपीसी में 06 माह कारावास व 500/- रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई गयी।